न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 24/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र भोरया मीना
2. कन्हैया पुत्र भोरया मीना
3. डालूराम पुत्र जीवण मीना
4. जगदीश पुत्र रामसहाय मीना

समस्त निवासी आलूदा खुर्द तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u> दिनांकः 5.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये और न ही अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 3108 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा, सम्वत 2010 मे गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2019 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1084 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 4124 रकबा 1.66 है. बना, जो उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 23.05.1989 के द्वारा जमना बेवा रामपाल मीना के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 03.08.1989 के द्वारा जमना बेवा रामपाल मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष बाद उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 09.05.2000 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 के खाता [illegible] में [illegible]रा नम्बर 4124/2 रकबा 1.00 है. किस्म जाव 3 जमना बेवा रामपाल मीना के नाम [illegible] हुई है। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। [illegible] राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल [illegible] बनाम सरकार में [illegible] निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निर[illegible]कर ऐसी जलोद गैर मु[illegible] भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:34:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 3108 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा, सम्वत 2010 मे गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2019 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1084 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा किस्मु गैर मुमकिन नाला बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में खसरा नम्बर 4124 रकबा 1.66 है. बना, जो उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश दिनांक 23.05.1989 के द्वारा जमना बेवा रामपाल मीना के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 03.08.1989 के द्वारा जमना बेवा रामपाल मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। आवंटन के 10 वर्ष बाद उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 09.05.2000 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। नामान्तरकरण संख्या 1248 दिनांक 14.03.2007 के द्वारा जमना बेवा रामपाल जाति मीना के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 4124/2 रकबा 1.00 है. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान होने से क्रेता अप्रार्थीगण बद्री, कन्हैया पुत्रान भौरया, जगदीश पुत्र रामसहाय, डालूराम पुत्र जीवण जाति मीना निवासी आलुदा तहसील दौसा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में खाता संख्या 263 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 4124/2 रकबा 1.00 है. बद्री, पुत्र भौरया हिस्सा 1/4, कन्हैया पुत्र भौरया हिस्सा 1/4, डालू पुत्र जीवण हिस्सा 1/4, जगदीश पुत्र रामसहाय कौम मीना हिस्सा 1/4 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:34:08 IST
Reason: SelfAttested